संख्या-33 /2018/1763/46-1-2018-1000(74)/2012

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त संबंधित मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
2- समस्त संबंधित जिलाधिकारी, उ.प्र.।
3- समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी, उ.प्र.।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 **लखनऊ दिनांक 19 सितम्बर, 2018**

विषय- गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से दिये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में यथा-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिला योजना/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लाभ डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से दिये जाने के साथ-साथ किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण, लाभार्थी चयन तथा डी.बी.टी. के क्रियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) **लाभार्थियों के चयन की शर्तें :-**

I. कृषक गन्ना समिति का वैधानिक आपूर्तिकर्ता सदस्य हो।
II. कृषक गन्ने की खेती करता हो।
III. कृषक पर गन्ना समिति का एक वर्ष से अधिक पुराना बकाया न हो।
IV. अनुदान हेतु कृषि यन्त्र, क्षेत्र प्रदर्शन, अभिजनक/आधार बीज यातायात एवं आधार/ प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम हेतु एक कृषक को प्रत्येक मद में तीन वर्ष में एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। अभिजनक बीज यातायात हेतु अधिकतम 25 कुं0 प्रति लाभार्थी, आधार बीज यातायात हेतु अधिकतम 50 कुं0 प्रति लाभार्थी, तथा आधार पौधशालाधारक को बीज वितरण पर अधिकतम 500 कुं0 एवं प्राथमिक पौधशालाधारक को बीज वितरण पर अधिकतम 1000 कुं0 पर अनुदान अनुमन्य होगा तथा अनुदान का लाभ प्रमाणित बीज वितरण/यातायात के उपरान्त ही देय होगा।
V. प्रदर्शन एवं पौधशालाओं के प्लाट सड़क के किनारें हो जिससे की अधिकाधिक प्रचार-प्रसार हो सकें।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

VI. अनुदान हेतु पेडी प्रबन्धन तथा बीज भूमि उपचार कार्यक्रम में अधिकतम सीमा 2.425 हे0 प्रति लाभार्थी एवं माइक्रोन्यूट्रेयन्ट व बायोफर्टिलाइजर/ वर्मी कम्पोस्ट कार्यक्रम हेतु अधिकतम सीमा 4.85 हे0 प्रति लाभार्थी होगी।

VII. कृषक द्वारा कृषि विभाग के पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके लिए आधार कार्ड, खतौनी एवं बैंक की अद्यतन पासबुक आवश्यक होगी तथा इन तीनों अभिलेखों में अंकित कृषक एवं पिता का नाम तथा गांव के नाम में अन्तर नहीं होना चाहिये।

VIII. पंजीकरण के उपरांत कृषक को एक यूनिक आई.डी. प्राप्त होगी, जिसे लाभार्थी को योजनाओ के लाभ हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

IX. शासकीय अनुदान के भुगतान एवं लाभार्थी के चयन में पारदर्षिता लाने, द्विआवृत्ति से बचने एवं अपात्र लाभार्थियों को रोकने के दृष्टिगत पात्र लाभार्थियों को आधार से जोडा

जाना आवश्यक है जिसके लिए उत्तर प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों,प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान)अधिनियम 2017 के अन्तर्गत मुख्य प्राविधान लागू होगें-

(क) अधिप्रमाणन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमैट्रिक सूचना सहित आधार संख्या केन्द्रीय पहचान आंकडे निक्षेपागार को उसके सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जाती है और ऐसा निक्षेपागार अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसकी शुद्धता या तत्सम्बन्धी कमी को सत्यापित करता है।

(ख) प्रसुविधा का तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रदत्त नकद या वस्तु के रूप में किसी लाभ, दान, पुरस्कार, अनुतोष या संदाय से है और इसमें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली अन्य प्रसुविधायें सम्मिलित हैं।

(ग) सेवा का तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी भी रूप में उपबंधित किसी व्यवस्था, सुविधा, उपयोगिता या किसी अन्य सहायता से है और इसमें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं।

(घ) सहायिकी का तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या वस्तु के रूप में किसी प्रकार की सहायता, समर्थन, अनुदान, आर्थिक सहायता या विनियोग से है और इसमें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली अन्य सहायिकियॉ सम्मिलित हैं।

(ड) परन्तु यदि, जब तक कि किसी व्यक्ति को आधार संख्या समनुदेशित नहीं की जाती है तब तक ऐसे व्यक्ति को सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा के परिदान के लिए वैकल्पिक और व्यवहार्य पहचान का साधन प्रदान किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. ऑनलाइन पंजीकरणः-

विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशो के अनुसार गन्ना किसानों को कौन सी सुविधा/लाभ देय है, उसका व्यापक प्रचार प्रसार समाचार पत्रों, विभागीय वेबसाइट, कृषक गोष्ठियों, किसान मेलों, सार्वजनिक स्थलों मे वाल-पेन्टिंग तथा एस.एम.एस. के माध्यम से प्रत्येक किसान तक पहुंचाया जाये। उन्हे विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रक्रियात्मक जानकारी से अवगत कराया जायेगा तथा लाभ को प्राप्त करने के लिये शर्ते विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।

विभाग की योजना मे कोई भी लाभ प्राप्त करने वाले इच्छुक गन्ना कृषकों का आनलाइन पंजीकरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत गन्ना विभाग के पोर्टल पर कराना अनिवार्य है। भारत सरकार की डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर की प्रक्रिया के दृष्टिगत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिला योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत त्रुटिरहित पंजीकरण हेतु पहचान पत्र के रूप मे आधार कार्ड को ही स्वीकार किया जायेगा। प्रत्येक लाभार्थी का केवल एक बार ही पंजीकरण होगा तथा पंजीकरण की सुविधा पूरे वर्ष भर खुली/उपलब्ध रहेगी तथा पंजीकरण के समय प्राप्त यूनिक आई.डी. को लाभार्थी को अपने पास सुरक्षित रखना होगा।

3. <u>ऑनलाइन लक्ष्य निर्धारण आवंटन व वितरणः</u>-

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ से संबंधित जिला गन्ना अधिकारियों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन संचालित योजना की स्वीकृत कार्य योजना/ गाइडलाइन्स के अनुरूप अपनी लागिन से परिषदवार/ जनपदवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को क्रमिक रूप से कृषि विभाग की वेबसाइट पर पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत गन्ना विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। तत्पश्चात जनपदीय अधिकारियों द्वारा लक्ष्यों के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन कराते हुये इसी पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक भुगतान ऑन लाइन किया जायेगा ताकि हर स्तर पर समीक्षा हेतु निम्न स्तर से लेकर राज्य स्तर तक ऑन लाइन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति लाभार्थी सूची सहित उपलब्ध रहे। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना एडवान्स मे पूर्व दिसम्बर माह तक तैयार करके अग्रेतर कार्यवाही की जानी होती हैं। लक्ष्य आवंटन के बाद लाभार्थी चयन की प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर ली जाये।

यदि मुख्यालय स्तर से जनपदवार ही लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कार्ययोजना मे जनपदीय अधिकारी को परिषदवार लक्ष्य निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है तो योजना क्रियान्वित कराने वाले संबंधित जनपदीय अधिकारी के द्वारा परिषदवार लक्ष्य आवंटित किया जायेगा और उसके सापेक्ष आनलाइन प्राप्त आवेदन के क्रम में अनुदान वितरण सुनिश्चित कराते हुये पोर्टल के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जायेगां।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. <u>लाभार्थी चयनः-</u>

4.1 पंजीकृत कृषकों मे से विभाग द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स, कार्ययोजना, स्वीकृत लक्ष्यों, प्राथमिकताओं एवं प्रतिबन्धों के अनुरूप कृषि निवेशवार/मदवार प्रथम आगत प्रथम पावत के सिद्धान्त पर पहले पंजीकृत कृषकों को पहले लाभ दिया जायेगा। यह चयन सूची पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर योजना की गाइडलाइन के अनुसार कृषक श्रेणीवार (लघु,सीमान्त,बड़े) वर्गवार (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यक / पिछडा वर्ग) तथा लिंगवार (महिला/ पुरूष) आनलाइन तैयार होगी। जिन योजनाओं मे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिये पृथक से बजट प्राविधान है उनकी चयन सूची पात्रता की शर्तो के अनुसार आनलाइन तैयार करते हुये संबंधित लेखा शीर्षक से ही भुगतान सुनिश्चित कराया जायेगा। इस बात की संभावना को देखते हुये कि चयनित किसान मे से कुछ किसान लाभ लेने नही आते तो पंजीकृत किसानो मे से ही पूर्व वर्णित सिद्धांत के अनुसार अधिकतम 20 प्रतिशत किसानों की प्रतीक्षा सूची बनायी जायेगी एवं समस्त प्रकार के चयनित/निरस्त कृषकों की सूची(कारण सहित) वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगी।

4.2 चयनित लाभार्थियो को उनके द्वारा पंजीकृत मोबाइल पर एस.एम.एस. भेजकर सूचित किया जाएगा (यह व्यवस्था वैकल्पिक होगी)। चयनित कृषकों को लिखित रूप से मदवार निर्धारित चयन पत्र (सलंग्नक) के माध्यम से लिखित रूप में ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा अनिवार्यतः सूचित किया जायेगा। इस चयन पत्र को लाभार्थी स्वयं भी कृषि विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है।

4.3 ग्राम पंचायत की खुली बैठक मे चयनित लाभार्थीयों की सूची के साथ योजनाओं की जानकारी विभाग के गन्ना पर्यवेक्षक द्वारा दी जायेगी एवं सार्वजनिक स्थल पर सूचियॉ चस्पा की जायेगी।

4.4 यदि अपरिहार्य परिस्थितियों मे ग्राम पंचायत की खुली बैठक बुलाना संभव न हो तो उक्तानुसार कार्यवाही गन्ना विकास परिषद की बैठक मे सम्पादित की जाये। किंतु ऐसा विशेष परिस्थितियों में ही किया जायेगा।

4.5 पोर्टल पर चयन सूची प्रदर्शित होने के 30 दिनों के (पौधशाला बीज वितरण, बीज यातायात, प्रदर्शन व उत्पादकता पुरस्कार प्रतियोगिता में अनुदान हेतु 30 दिन की समय सीमा लागू नहीं होगी) अन्दर लाभार्थी कृषक द्वारा कृषि निवेश क्रय कर अनुदान प्रपत्र (सलंग्नक-1 जोकि परिषद कार्यालय के साथ-साथ आन लाइन पोर्टल से डाउनलोड करके भी प्राप्त किया जा सकता है।) के साथ समस्त बिल-वाउचर/कैश मेमो/रसीद स्कैन करके कृषि विभाग के पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत गन्ना विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा, अन्यथा उनका क्रम निरस्त कर अगले कृषक को लाभान्वित किया जाएगा। अपलोड होने के उपरांत ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा इन प्रपत्रों का 15 दिन के अन्दर सत्यापन कर सही पाये गये आवेदनों को अगले स्तर हेतु अग्रसारित किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाएगा तथा आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आनॅलाइन अनुदान भुगतान की प्रक्रिया कोषागार के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी।

5. <u>पंजीकरण से संबंधित अभिलेखो का सत्यापन एवं रख रखावः-</u>

(अ) <u>पंजीकरण के समय</u>-

ऐसे पंजीकृत लाभार्थी जिन्होने पंजीकरण के समय ही अपना आधार कार्ड की छाया प्रति खतौनी की नकल एवं अद्यतन बैंक पासबुक की छायाप्रति उपलब्ध करा दी है और उसे ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक ने मूल अभिलेखो से मिलान कर लिया है तो ऐसे लाभार्थियों के तीनो अभिलेखों पर पंजीकरण संख्या तथा गार्ड फाइल का क्रमांक डालते हुये ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के स्तर पर सुरक्षित रखा जायेगा। तत्पश्चात ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा अपनी लॉगिन से पंजीकृत डाटा को गार्ड फाइल के क्रमांक का उल्लेख आनलाइन करते हुये लाक कर दिया जाये। ऐसे वैलीडेटेड डाटा के संबंधित अभिलेखो को प्रत्येक चयन व लाभ वितरण के साथ बार-बार प्राप्त करने की आवश्यकता नही होगी। यह आनलाइन भी अंकित हो जाये कि यह डाटा वैलिडेटेड है। गार्ड फाइल मे सुरक्षित रखे गये अभिलेख (हार्ड कापी वर्षवार मदवार) इस प्रकार व्यवस्थित हो कि उनको भविष्य मे स्कैन कराकर पोर्टल पर अपलोड कराया जा सके।

(ब) <u>चयन के समय</u>-

ऐसे लाभार्थी जिनका पंजीकरण से संबंधित मूल अभिलेख मिलान हेतु उपलब्ध नही है, तो उनसे चयन के पश्चात सत्यापन के समय पर पंजीकरण से संबंधित तीनो अभिलेख (आधार कार्ड, खतौनी एवं बैंक पासबुक) प्राप्त कर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा उक्त प्रक्रिया के अनुसार डेटा वेलीडेट एवं लाक करना अनिवार्य होगा।

(स) <u>वितरण के समय</u>-

ऐसे लाभार्थी जिनका डाटा अनुदान वितरण के समय तक वैलीडेटेड नही है उनसे वितरण से पूर्व पंजीकरण से संबंधित तीनों अभिलेख प्राप्त कर सर्वप्रथम ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा मूल अभिलेखों से सत्यापित करते हुये तथा पात्रता शर्तो की जॉच के उपरान्त पात्र लाभार्थी को जिला गन्ना अधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। जिला गन्ना अधिकारी संतुष्ट होने पर उसे क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त को भेजेंगे। अनुदान अग्रसारण करने से पूर्व ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा तीनो अभिलेखों का परीक्षण करते हुये अपने स्तर पर पृथक कर गार्ड फाइल मे उपर्युक्तानुसार सुरक्षित रखा जायेगा तथा अपनी लागिन से डाटा वैलीडेट एवं लाक कर दिया जायेगा। विभाग की योजनाओ मे आनलाइन पंजीकृत पात्र लाभार्थी को किसी भी प्रकार का लाभ देने से पूर्व अनुदान वितरण हेतु ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा कृषि निवेशों के अनुदान हस्तांतरण प्रपत्र हेतु फार्म का प्रारूप संलग्नक-1 पर दिये गये रूपपत्र को भरवाकर लाभार्थी के हस्ताक्षर प्राप्त कर आनलाइन पंजीकरण से सत्यापित करते हुए तथा कृषि निवेशों एवं सम्बन्धित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अभिलेखों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराते हुए अनुदान भुगतान की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

6. पात्र लाभार्थी गन्ना कृषकों को जिले की किसी भी सहकारी गन्ना समितियों के माध्यम से इफको एवं कृभको, आई.आई.एस.आर., उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद तथा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा उत्पादित माइक्रोन्यूट्रियेन्ट, कीटनाशक तथा बायोफर्टिलाइजर डी.बी.टी. व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जायें। विशेष परिस्थिति में समिति गोदाम पर उक्त संस्थाओं के उत्पाद उपलब्ध नहीं होने पर मुख्यालय से अनुमति उपरान्त कृषि विभाग के शासनादेश संख्या-543(1)/12-3-2017 दिनांक 26 मई, 2017 के प्रस्तर 5.4.2 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय, महामारी एवं अन्य प्राकृतिक आपदा के समय मुख्यालय स्तर से अन्य विकल्प पर भी विचार किया जाएगा। पात्र लाभार्थी कृषि निवेशों को उनके कुल मूल्य एवं समस्त करों सहित नकद अथवा समिति ऋण के माध्यम से 100 प्रतिशत पूर्ण भुगतान के उपरान्त ही प्राप्त कर सकेगा, गन्ना समिति के द्वारा नकद अथवा समिति ऋण की रसीद मय GSTIN नम्बर के उपलब्ध कराई जाएगी। जिसके पश्चात ही उसको नियमानुसार देय अनुदान का भुगतान उसके खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा।

6.1 किसी भी सदस्य कृषक को उसकी जोत की सीमा के अन्तर्गत अधिकतम 4.85 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल की सीमा (50% पौधा एवं 50% पेडी क्षेत्रफल हेतु) तक के लिए ही माइक्रोन्यूट्रियेण्ट,कीटनाशक एवं बायोफर्टिलाइजर पर नियमानुसार अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। (अनुदान हेतु पेडी प्रबन्धन व बीज भूमि उपचार कार्यक्रम में अधिकतम सीमा 2.425 हे0 प्रति लाभार्थी एवं माइक्रोन्यूट्रेयन्ट व बायोफर्टिलाइजर/वर्मी कम्पोस्ट कार्यक्रम हेतु अधिकतम सीमा 4.85 हे0 प्रति लाभार्थी होगी)

6.2 कृषि यंत्रों हेतु चयनित पंजीकृत कृषक स्वेच्छा से किसी भी कम्पनी का कृषि यंत्र जो आई.एस.आई.मार्क,सी.आई.ए.ई(सेन्ट्रलइन्स्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग) एस.ए.यू.(स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज)अथवा एफ.एम.टी.पी.आई.(फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इन्स्टीट्यूट) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों, को अपनी आवश्यकतानुसार खुले बाजार में अधिकृत विक्रेता से क्रय कर सकता है। यंत्रों के मूल्य का निर्धारण यू.पी.स्टेट एग्रो लि. की मूल्य सूची/दर अनुबंध की सीमा तक मान्य होगा।
जिनकी मूल्य सूची यू.पी.स्टेट एग्रो स्टेट में उपलब्ध नहीं होगा उनका मूल्य कृषि विभाग में उपलब्ध मूल्य दर पर किया जाएगा।

6.3 कृषि यंत्र, माइक्रोन्यूट्रियन्ट, कृषि रक्षा रसायन के परिवहन/यातायात पर अनुदान देय नहीं होगा।

7- लाभार्थियों द्वारा कृषि निवेश ऐसे फर्म/प्रतिष्ठान से क्रय किया जायेगा जिसके पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जी.एस.टी.नम्बर/पैन नम्बर उपलब्ध हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. कृषक द्वारा अनुदान हस्तान्तरण प्रपत्र (प्रारूप सलंग्नक-**1** जोकि ऑनलाइन भी डाउनलोड/परिषद कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है) को चयन तिथि से 30 दिवस के अन्दर कृषि निवेश के बिल वाउचर/कैश मेमो/क्रय-विक्रय रसीद कृषि विभाग के पारदर्शी किसान सेवा योजना के गन्ना विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर उसकी मूल प्रति गन्ना विकास परिषद में प्रस्तुत की जायेगी, वाउचर के अपलोड होने के **15** दिवस के अन्दर गन्ना पर्यवेक्षक /गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। भौतिक सत्यापन के कागजात एवं आनलाइन बिल की हार्ड कॉपी, विक्रय रसीद की प्रति एवं लाभार्थी से प्राप्त निर्धारित अभिलेखों की प्रति ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा प्रक्रिया पूर्ण कर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर जिला गन्ना अधिकारी को अग्रसारित की जायेगी। सत्यापनोपरान्त अस्वीकृत कृषकों की सूची कारण सहित प्रदर्शित/अपलोड की जायेगी।

9- **<u>अनुदान भुगतान की प्रक्रियाः-</u>**

कृषकों द्वारा कृषि निवेश क्रय करने की पुष्टि में रसीद/कैश मेमों/बिल वाउचर सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद कार्यालय में जमा कराया जायेगा (बीज वितरण/बीज यातायात कार्यक्रम में अनुदान हेतु बीज वितरण/बीज यातायात के उपरान्त क्रेता एवं विक्रेता कृषक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करते हुए सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद/समिति के माध्यम से प्रमाणित क्रय-विक्रय पत्र तैयार करना होगा जिसमें बीज वितरण/बीज यातायात की मात्रा विक्रय की दर एवं विक्रय का दिनांक का उल्लेख करते हुए बीज वितरण/बीज यातायात के **10** दिवस के अन्दर समस्त अभिलेख ऑन लाइन अपलोड कराने होगें (यदि इस तिथि के अन्दर अपलोड की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती है तो कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा) जिसकी प्रविष्टि एक पंजिका में निर्धारित प्रारूप पर की जायेगी, जिस पर सम्बन्धित पटल प्रभारी के साथ-साथ सम्बन्धित कृषक के हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें। लाभार्थी अपने रसीद/कैश मेमों/बिल वाउचर के साथ-साथ सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को सम्बोधित करते हुए एक प्रार्थना-पत्र प्रेषित करेगें जिसमें कृषक का नाम, पिता/पति का नाम, पूरा पता, कृषक कोड, कृषक का मोबाईल नम्बर,कृषि योग्य भूमि व गन्ना क्षेत्रफल तथा बैंक का नाम, खाता संख्या, बैंक का आई**0**एफ**0**एस0सी**0** कोड भी अंकित होगा। कृषक के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियां एवं संलग्न रसीद/कैश मेमों/बिल वाउचर का परीक्षण सम्बन्धित सर्किल सुपरवाईजर द्वारा किया जायेगा,जिसकी पुष्टि सम्बन्धित गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा की जायेगी। सर्किल सुपरवाईजर गन्ना समिति के कृषक का प्रार्थना पत्र व रसीद/कैश मेमों/बिल वाउचर प्राप्त होने के अधिकतम 15 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से समस्त लाभार्थियों का सत्यापन करेगे। विभाग की योजनावार मदवार चयनित लाभार्थी द्वारा क्रय किये कृषि निवेश/वस्तुओं से संबंधित अभिलेखों (बिल वाउचर आदि) का भौतिक सत्यापन कराते हुए समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् जिला गन्ना अधिकारी द्वारा चयनित पात्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लाभार्थीयों द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का अन्तिम रूप से सत्यापन करते हुये अनुदान भुगतान हेतु संबंधित कोषागार को नियमानुसार तत्काल अग्रसारित कर देंगे।

10- क्षेत्र प्रदर्शन में अनुदान प्राप्त करने हेतु स्थापित प्रदर्शन की कटाई का प्रमाणित परिणाम(उपज प्रति हे0) एक सप्ताह के अन्दर चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत ऑन लाइन ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा अपलोड कराने होगें। जिले की औसत उपज से प्रदर्शन प्लाट की कम से कम **25** प्रतिशत अधिक उपज प्राप्त होने पर ही अनुदान की धनराशि का .भुगतान किया जाएगा।

11- उत्पादकता पुरस्कार में अनुदान हेतु जिला स्तर पर पौधा एवं पेडी गन्ना उपज प्रतियोगिता में कृषकों द्वारा पंजीकरण किये जाने के बाद प्रवेश-शुल्क इत्यादि नियमानुसार जमा कर दिये जाने के पश्चात ही प्रतियोगिता के लिए फसल कटाई प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेगा । प्रतियोगी कृषक की फसल कटाई के परिणाम जिला स्तर पर संकलित कर अपलोड करते हुए पौधा एवं पेडी गन्ना प्रतियोगिता में प्रथम दो-दो कृषकों को अनुदान हेतु घोषणा पत्र निर्गत करते हुए 10 दिवस के अन्दर लाभार्थियों के अनुदान हस्तान्तरण हेतु आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार के लिए चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत अग्रसारित किया जायेगा।

इसी प्रकार राज्य स्तर के पुरस्कारों हेतु नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए विजेता कृषक घोषित किये जाने के पश्चात मुख्य प्रचार अधिकारी द्वारा परिणाम /घोषणा पत्र 10 दिवस के अन्दर अपलोड किया जाएगा तथा संबंधित लाभार्थी को अनुदान घोषणा पत्र निर्गत करते हुए 10 दिवस के अन्दर लाभार्थीयों के अनुदान हस्तान्तरण हेतु आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार के लिए चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत अग्रसारित किया जाएगा।

12- <u>गार्ड फाईल का रख-रखाव व अनुरक्षणः-</u>

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर गार्ड फाईल के समस्त पन्नों की पेजिंग करते हुये उस पर गार्ड फाईल क्रमांक व वित्तीय वर्ष अंकित किया जायेगा। तदोपरान्त उक्त गार्ड फाइल के रख-रखाव उत्तराधिकारी संबंधित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/ मंत्री,गन्ना विकास परिषद का होगा। प्रत्येक वर्ष गार्ड फाईल कार्यालय मे तैयार की जायेगी।

13- <u>प्रचार प्रसारः</u>-

विभाग द्वारा चलायी जा रही योजना के अन्तर्गत कृषि निवेशों की आपूर्ति पर डी0बी0टी0 के तहत बैंक खातो में अनुदान भुगतान की परिवर्तित व्यवस्था के सम्बन्ध में जिला गन्ना अधिकारी द्वारा विधिवत प्रचार प्रसार स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन, पम्पलेट, वालपेनि्टग, पोस्टर, बैनर, कृषक गोष्ठी एवं कृषक मेला के माध्यम से किया जायेगा। इस सम्बन्ध में गन्ना विकास परिषद बजट में यथोचित धनराशि का प्राविधान किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14- <u>कार्यक्रम का अनुश्रवण समीक्षा व क्रियान्वयन</u>:-

जिला गन्ना अधिकारी द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्राप्त आवेदनों एवं उक्त के परिप्रेक्ष्य में डी0बी0टी0 के अन्तर्गत हस्तान्तरित कार्यक्रमवार अनुदानित लाभार्थियों की सूची की सी0डी0/पेनड्राइव में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, कार्यालय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त को उपलब्ध करायेगें एवं लाभार्थियां की सूची उप गन्ना आयुक्त/क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी द्वारा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। उप गन्ना आयुक्त अपने परिक्षेत्र के जनपदों की कार्यक्रमवार /कृषि निवेशवार पृथक-पृथक लाभार्थियों की सूची सी0डी0/पेनड्राइव में अगले माह की 5 (पांच) तारीख को मुख्य प्रचार अधिकारी, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त को उपलब्ध करायेगें जिसको मुख्य प्रचार अधिकारी कार्यालय गन्ना आयुक्त,उ0प्र0 द्वारा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए सूचनाओं को संरक्षित रखेगें। गन्ना विकास परिषदों/गन्ना समितियों में अनियमितता पाये जाने की स्थिति में सचिव, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं जिला गन्ना अधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
2- गन्ना एवं चीनी आयुक्त, लखनऊ।
3- निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर।
4- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2 ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सलंग्नकः-1

अनुदान हस्तान्तरण प्रपत्र

(जिला योजना/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना)

फोटो

1- कृषि विभाग की बेवसाइट पर पंजीकरण के उपरान्त पंजीकरण संख्या-.....

2- आधार कार्ड संख्या.....

3- लाभार्थी कृषक का नामः-.....

4- पिता/ पति का नामः-.....

5- ग्राम.....परिषद का नाम..... तहसील.....जनपद.....

6- समिति सदस्यता का विवरण-.....तिथि से सदस्य है। कृषक कोड-.....।

7- कृषक का मोबाइल नम्बर-

8- कृषक श्रेणी (महिला/पुरूष/सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक/ पिछडावर्ग/दिव्यांग)

9- भूमि का विवरण-.....।

9.1 कृषि योग्य भूमि(हे.)-.....।

9.2- गन्ना क्षेत्रफल(है.)-पौधा.....पेडी.....।

9.3- गन्ना कृषक विगत दो वर्षो से गन्ना आपूर्ति कर्ता है अथवा नहीं-

10- अनुदान हेतु चयनित मद/ कृषि निवेश का विवरण

10.1- गन्ना समिति से क्रय किये गये उत्पाद का विवरण (उत्पाद का नाम/मात्रा/संख्या एवं उसकी क्रय दर)-

10.2- गन्ना समिति की रसीद का विवरण, कुल कीमत एवं क्रय की तिथि-

11- अन्य संस्था से क्रय करने पर उत्पाद/ रसीद का विवरण

11.1- क्रय किये गये उत्पाद का विवरण (उत्पाद का नाम/मात्रा/संख्या एवं उसकी क्रय दर)-

11.2- उत्पाद की कुल कीमत/ फर्म का नाम/फर्म का GSTIN नम्बर रसीद का विवरण (क्रय की तिथि सहित)

11.3- बीज वितरण/ यातायात/ उत्पादकता पुरस्कार के अनुदान हेतु अभिलेखों का विवरण- (मद का नाम/ मात्रा संख्या/ अनुदान रशि)

12- कृषक के बैंक खाते का विवरण-

बैंक का नाम (शाखा सहित)	खाता संख्या (सी.बी.एस.)	IFSC कोड	अनुदान की धनरशि

विभागीय सत्यापन	लाभार्थी द्वारा घोषणा
1-उक्त लाभार्थी के अभिलेख प्राप्त किये गये एवं उक्त विवरण सलंग्न आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक व विक्रय/ क्रय रसीद आदि के अनुरूप सही है। मैंने क्रय किये गये कृषि निवेश का मौके पर भौतिक सत्यापन किया जो अभिलेखों के अनुसार सही पाया गया। हस्ताक्षर- सत्यापन कर्ता गन्ना पर्यवेक्षक/गन्ना विकास निरीक्षक (मोबाइल नम्बर व नाम दिनांक सहित) 2-भुगतान हेतु अग्रसारण अधिकारी मेरे द्वारा समस्त अभिलेखों एवं बेवसाइट पर अपलोडेड अभिलेखों का मिलान किया गया, जो सही पाया गया। भुगतान हेतु संस्तुत। हस्ताक्षर- ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक (मोबाइल नम्बर व नाम दिनांक सहित)	मैं यह घोषणा करता/ करती हू कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे संज्ञान में सही/ सत्य है और मेरे द्वारा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है, मैं विभागीय नियमों/ प्राविधानों से पूर्णतया भिज्ञ हू। यदि मेरे द्वारा विभागीय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है और मैं विभागीय नियमानुसार पात्र नहीं पाया जाता/ जाती हू तो मेरी पात्रता निरस्त करते हुए अनुदान की धनराशि मेरे गन्ना मूल्य से काट ली जाए। कृषक के हस्ताक्षर----- कृषक का नाम- हस्ताक्षर- (अधिकृत विक्रेता कर्मचारी/ अधिकृत विक्रेता) (मोबाइल नम्बर व नाम दिनांक सहित)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सलंग्नक-2(एक)

<u>गन्ना विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में आधार/प्राथमिक बीज वितरण/अभिजनक/आधार यातायात के अन्तर्गत अनन्तिम लाभार्थी चयन पत्र संख्या-1</u>

सेवा में,

श्री.....(पंजीकरण संख्या-00000000000)

पिता/पति .....

गांव-.....ब्लाक.....गन्ना समिति.....परिषद.....

जनपद-.....

चयन दिनांक- 0000000000000000

आप द्वारा गन्ना विभाग में संचालित योजनाओं के अन्तर्गत कृषि विभाग की पारदर्शी किसान सेवा योजना के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया था। पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर आपको सूचित किया जाता है कि आपका चयन "मद का नाम.....योजना का नाम------" हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु किया गया है।

आपको अनुदान का लाभ निम्न शर्तो के अधीन अनुमन्य होगा-

1- आधार एवं प्राथमिक पौधाशाला बीज वितरण/अभिजनक एवं आधार यातायात अन्तर्गत अनुदान का लाभ पूर्व प्राप्ति वर्ष के तीन वर्ष बाद ही पुनः देय होगा ।

2- पौधाशालाओं के प्लाट सडक के किनारे हों ताकि अधिकाधिक प्रचार-प्रसार हो सके।

3- अनुदान भुगतान बीज प्रमाणीकरण के उपरान्त वास्तविक बीज वितरण पर देय होगा।

4- आधार बीज वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बीज वितरण पर 50 रू0 प्रति कुन्टल (अधिकतम 500कुं0), प्राथमिक बीज वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बीज वितरण पर 25 रू0 प्रति कुन्टल (अधिकतम 1000कुं0), अभिजनक बीज यातायात कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 रू0 प्रति कुन्टल (अधिकतम 25कुं0) तथा आधार बीज यातायात कार्यक्रम में 7 रू0 प्रति कुन्टल (अधिकतम 50कुं0) की दर से अनुदान दिया जाएगा।

5- अनुदान प्राप्त करने हेतु बीज वितरण/बीज यातायात के उपरान्त क्रेता एवं विक्रेता कृषक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करते हुए सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद/ समिति के माध्यम से प्रमाणित क्रय-विक्रय पत्र तैयार करना होगा जिसमें बीज वितरण/ बीज यातायात की मात्रा विक्रय की दर एवं विक्रय का दिनांक का उल्लेख करते हुए बीज वितरण/ बीज यातायात के नियत अवधि के अन्दर समस्त अभिलेख ऑन लाइन अपलोड कराने होगें। यदि इस तिथि के अन्दर अपलोड की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती है तो आप का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

6- यदि आपके द्वारा ऑन लाइन पंजीकरण में दिये गये विवरण का अभिलेखीय प्रमाण सत्यापन के लिए समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा।

नोट-1- किसान भाई सत्यापन करने वाले अधिकारी को संबंधित अभिलेख देने के पश्चात उसके द्वारा तैयार की गयी सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति जिसमें अधिकारी के हस्ताक्षर हों, अवश्य प्राप्त कर लें।

नोट-2- समस्त अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने की उल्लिखित समय सीमा अधिकतम है। आप द्वारा जितनी शीघ्र औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जायेगी, उतना ही शीघ्र अनुमन्य अनुदान बैंक खाते में DBT के माध्यम से हस्तानांतरित हो सकेगा।

चेतावनी- यदि आपका पंजीकरण असत्य या डुप्लीकेट पाया गया तो आपका चयन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सलंग्नक-2(दो)

<u>गन्ना विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में माइक्रोन्यूट्रियेन्ट /बायोफर्टिलाइजर/कृषि रक्षा रसायन वितरण के अन्तर्गत अनन्तिम लाभार्थी चयन पत्र सं0-2</u>

सेवा में,

श्री.....(पंजीकरण संख्या-00000000000)

पिता/पति .....

गांव-.....ब्लाक.....गन्ना समिति.....परिषद.....

जनपद-.....

चयन दिनांक- 0000000000000000

आप द्वारा गन्ना विभाग में संचालित योजनाओं के अन्तर्गत कृषि विभाग की पारदर्शी किसान सेवा योजना के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया था। पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर आपको सूचित किया जाता है कि आपका चयन मद का नाम.....योजना का नाम-....." हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु किया गया है।

आपको अनुदान का लाभ निम्न शर्तो के अधीन अनुमन्य होगा-

1- लाभार्थी गन्ना कृषकों को जिले की किसी भी सहकारी गन्ना समितियों के माध्यम से इफको एवं कृभको, आई.आई.एस.आर., उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद तथा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा उत्पादित माइक्रोन्यूट्रियेन्ट, कीटनाशक तथा बायोफर्टिलाइजर डी.बी.टी. व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जायें। विशेष परिस्थिति में समिति गोदाम पर उक्त संस्थाओं के उत्पाद उपलब्ध नहीं होने पर मुख्यालय से अनुमति उपरान्त कृषि विभाग के शासनादेश संख्या -543(1)/12-3-2017 दिनांक 26 मई, 2017 के प्रस्तर 5.4.2 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय, महामारी एवं अन्य प्राकृतिक आपदा के समय मुख्यालय स्तर से अन्य विकल्प पर भी विचार किया जाएगा। पात्र लाभार्थी कृषि निवेशों को उनके कुल मूल्य एवं समस्त करों सहित नकद अथवा समिति ऋण के माध्यम से 100 प्रतिशत पूर्ण भुगतान के उपरान्त ही प्राप्त कर सकेगा, गन्ना समिति के द्वारा नकद अथवा समिति ऋण की रसीद मय GSTIN नम्बर के उपलब्ध कराई जाएगी। जिसके पश्चात ही उसको नियमानुसार देय अनुदान का भुगतान उसके खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा।

2- किसी भी सदस्य कृषक को उसकी जोत की सीमा के अन्तर्गत अधिकतम 4.85 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल की सीमा (50% पौधा एवं 50% पेडी क्षेत्रफल हेतु) तक के लिए ही माइक्रोन्यूट्रियेन्ट, कीटनाशक एवं बायोफर्टिलाइजर पर नियमानुसार अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त के अनुदान हेतु दिनांक.....तक सम्बन्धित कृषि निवेश को क्रय करते हुए अनुदान प्रपत्र सहित समस्त अभिलेख ऑन लाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। चयन की तिथि से पूर्व क्रय कर लिये गये कृषि निवेष पर अनुदान अनुमन्य नहीं होगा।यदि इस तिथि के अन्दर अपलोड की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती है तो आप का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

4- पेडी प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रय किये गये रसायनों पर लागत का 50% एवं अधिकतम 150 रू0 प्रति हेक्टेयर अनुदान अनुमन्य है (अधिकतम 2.425हे0)। भूमि एवं बीज उपचार कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रय किये गये रसायनों पर लागत का 50% एवं अधिकतम 500 रू0 प्रति हेक्टेयर अनुदान अनुमन्य है (अधिकतम 2.425हे0)। बायोफर्टिलाइजर/ वर्मी कम्पोस्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रय किये गये निवेश पर लागत का 50% एवं अधिकतम 600 रू0 प्रति हेक्टेयर अनुदान अनुमन्य है (अधिकतम 4.85हे0) तथा माइक्रोन्यूट्रीन्यट प्रयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रय किये गये माइक्रोन्यूट्रीन्यट पर लागत का 50% एवं अधिकतम 500रू0 प्रति हेक्टेयर अनुदान अनुमन्य है(अधिकतम 4.85हे0)।

5- यदि आपके द्वारा ऑन लाइन पंजीकरण में दिये गये विवरण का अभिलेखीय प्रमाण सत्यापन के लिए समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा।

नोट-1- किसान भाई सत्यापन करने वाले अधिकारी को संबंधित अभिलेख देने के पश्चात उसके द्वारा तैयार की गयी सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति जिसमें अधिकारी के हस्ताक्षर हों, अवश्य प्राप्त कर लें।

नोट-2- समस्त अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने की उल्लिखित समय सीमा अधिकतम है। आप द्वारा जितनी शीघ्र औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जायेगी, उतना ही शीघ्र अनुमन्य अनुदान बैंक खाते में DBT के माध्यम से हस्तानांतरित हो सकेगा।

चेतावनी- यदि आपका पंजीकरण असत्य या डुप्लीकेट पाया गया तो आपका चयन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सलंग्नक-2(तीन)

गन्ना विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में यंत्र वितरण के अन्तर्गत अनन्तिम लाभार्थी चयन पत्र सं0-3

सेवा में,

श्री.....(पंजीकरण संख्या-00000000000)

पिता/पति .....

गांव-.....ब्लाक.....गन्ना समिति.....परिषद.....

जनपद-.....

चयन दिनांक- 0000000000000000

आप द्वारा गन्ना विभाग में संचालित योजनाओं के अन्तर्गत कृषि विभाग की पारदर्शी किसान सेवा योजना के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया था। पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर आपको सूचित किया जाता है कि आपका चयन मद का नाम.....योजना का नाम..... हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु किया गया है।

आपको अनुदान का लाभ निम्न शर्तो के अधीन अनुमन्य होगा-

1- लाभार्थी कृषक स्वेच्छा से किसी भी कम्पनी का कृषि यंत्र जो आई.एस.आई. मार्क, सी.आई.ए.ई. (सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग), एस.ए.यू. (स्टेट एग्रीकल्चर यूनिर्वसिटीज) अथवा एफ.एम.टी.टी.आई.(फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इन्स्टीट्यूट) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों, को अपनी आवश्यकता के अनुरूप खुले बाजार में अधिकृत विक्रेता से क्रय कर सकते है जिसका GSTIN नम्बर उपलब्ध हो।

2- मानव/बैल/शक्ति चालित कैटेगिरी के किसी भी एक कृषि यंत्र पर एक बार अनुदान दे दिये जाने पर किसी भी यंत्र पर आगामी तीन वर्षो तक न तो चयन किया जाएगा और न ही उस यंत्र पर अनुदान दिया जाएगा।

3- यत्रं के अनुदान हेतु दिनांक.....तक सम्बन्धित यंत्र को क्रय करना अनिवार्य होगा। चयन की तिथि से पूर्व क्रय कर लिये गये यंत्रों पर अनुदान अनुमन्य नहीं होगा।

4- यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने हेतु दिनांक.....तक समस्त अभिलेख ऑन लाइन अपलोड कराने होगें। यदि इस तिथि के अन्दर अपलोड की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती है तो आप का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

5- यदि आपके द्वारा ऑन लाइन पंजीकरण में दिये गये विवरण का अभिलेखीय प्रमाण सत्यापन के लिए समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा।

नोट-1- किसान भाई सत्यापन करने वाले अधिकारी को संबंधित अभिलेख देने के पश्चात उसके द्वारा तैयार की गयी सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति जिसमें अधिकारी के हस्ताक्षर हों, अवश्य प्राप्त कर लें।

नोट-2- समस्त अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने की उल्लिखित समय सीमा अधिकतम है। आप द्वारा जितनी शीघ्र औपचारिकताएं पूर्ण कर लिया जाएगा, उतना शीघ्र ही अनुमन्य अनुदान बैंक खाते में DBT के माध्यम से हस्तानांतरित हो सकेगा।

चेतावनी- यदि आपका पंजीकरण असत्य या डुप्लीकेट पाया गया तो आपका चयन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्ष

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सलंग्नक-2(चार)

<u>गन्ना विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में क्षेत्र प्रदर्शन/उत्पादकता पुरस्कार के अन्तर्गत अनन्तिम लाभार्थी चयन /सूचना पत्र संख्या-4</u>

सेवा में,

श्री.....(पंजीकरण संख्या-00000000000)

पिता/पति .....

गांव-.....ब्लाक.....गन्ना समिति.....परिषद.....

जनपद-.....

चयन दिनांक-0000000000000000

आप द्वारा गन्ना विभाग में संचालित योजनाओं के अन्तर्गत कृषि विभाग की पारदर्शी किसान सेवा योजना के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया था। पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर आपको सूचित किया जाता है कि आपका चयन "मद का नाम-....., योजना का नाम....." हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु किया गया है।

आपको अनुदान का लाभ निम्न शर्तो के अधीन अनुमन्य होगा।

1- क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान का लाभ पूर्व प्राप्ति वर्ष के 3 वर्ष बाद ही पुनः देय होगा । राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रदर्शन का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर होगा तथा अनुदान राशि प्रति प्रदर्शन 7,500 रूपये देय होगी। जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत गन्ने की सिंगल बड टेक्नीक से बुआई के साथ-साथ दलहन/तिलहन की सहफसली खेती हेतु स्थापित प्रदर्शन हेतु 9,000 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देय है तथा न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर होगा।

2- पौधाशालाओं के प्लाट सड़क के किनारे हों जिससे कि अधिकाधिक प्रचार-प्रसार हो सके ।

3- प्रदर्शन का गन्ना फसल कटाई प्रयोग निश्चित रूप से कराया जाएगा तथा जनपद की औसत उपज से प्रदर्शन प्लाट की कम से कम 25 प्रतिषत अधिक उपज प्राप्त होने पर ही अनुदान की धनराशि का भुगतान किया जाएगा। क्षेत्र प्रदर्शन में अनुदान प्राप्त करने हेतु स्थापित प्रदर्शन की कटाई का प्रमाणित परिणाम(उपज प्रति हे0) नियत समय के अन्दर चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत ऑन लाइन ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा अपलोड कराने होगें। यदि निर्धारित समय के अन्दर अपलोड की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती है तो चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

4- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत जिला स्तर पर पौधा एवं पेडी गन्ना उपज प्रतियोगिता में कृषकों द्वारा पंजीकरण किये जाने के बाद प्रवेश-शुल्क इत्यादि नियमानुसार जमा कर दिये के पश्चात ही प्रतियोगिता के लिए फसल कटाई प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेगा। प्रतियोगी कृषक की फसल कटाई के परिणाम जिला स्तर पर संकलित कर अपलोड करते हुए पौधा गन्ना प्रतियोगिता में प्रथम दो कृषकों एवं पेडी गन्ना प्रतियोगिता के प्रथम दो कृषकों को अनुदान पत्र निर्गत किये जायेंगें।

5- जिला स्तर पर पौधा गन्ना तथा पेडी गन्ना में अलग-अलग संवर्ग में सर्वाधिक उपज प्राप्त करने वाले कृषकों को प्रथम एवं द्तीय पुरस्कार दिये जायेगें, जो क्रमशः 25,000 रू0 एवं 15,000 रू0 के होगें। कृषक को विजेता घोषित किये जाने के पश्चात ही जिला गन्ना अधिकारी द्वारा परिणाम /घोषणा पत्र नियत अवधि में अपलोड किया जाएगा तथा संबंधित लाभार्थी को अनुदान चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाएगा।

6- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पौधा एवं पेडी संवर्ग की राज्य स्तरीय उत्पादकता पुरस्कार प्रतियोगिता में कृषकों द्वारा पंजीकरण किये जाने के बाद प्रवेश-शुल्क इत्यादि नियमानुसार जमा कर दिये के पश्चात ही प्रतियोगिता के लिए फसल कटाई प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेगा। प्रतियोगी कृषक की फसल कटाई के परिणाम राज्य मुख्यालय स्तर पर संकलित कर अपलोड करते हुए पौधा गन्ना प्रतियोगिता में प्रथम दो कृषकों एवं पेडी गन्ना प्रतियोगिता के प्रथम दो कृषकों को अनुदान पत्र निर्गत किये जायेंगें।

7- राज्य स्तर पर पौधा गन्ना तथा पेडी गन्ना में अलग-अलग संवर्ग में सर्वाधिक उपज प्राप्त करने वाले कृषकों को एक-एक पुरस्कार दिये जायेगें, जो क्रमशः 50,000 रू0 एवं 50,000 रू0 के होगें। कृषक को विजेता घोषित किये जाने के पश्चात ही मुख्य प्रचार अधिकारी द्वारा परिणाम /घोषणा पत्र नियत अवधि में अपलोड किया जाएगा तथा संबंधित लाभार्थी को अनुदान चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाएगा।

8- यदि लाभार्थी द्वारा ऑन लाइन पंजीकरण में दिये गये विवरण का अभिलेखीय प्रमाण सत्यापन के लिए समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो चयन निरस्त कर दिया जाएगा।

नोट-1- लाभार्थी कृषक, सत्यापन करने वाले अधिकारी को संबंधित अभिलेख देने के पश्चात उसके द्वारा तैयार की गयी सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति जिसमें अधिकारी के हस्ताक्षर हों, अवश्य प्राप्त कर लें।

नोट-2- समस्त अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने की उल्लिखित समय सीमा अधिकतम है।

चेतावनी- यदि आपका पंजीकरण असत्य या डुप्लीकेट पाया गया तो आपका चयन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।